सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारी श्री सुदर्शन सिंह तोमर (आर.ए.एस.)

इस्तगासा गुण्डा एक्ट प्रकरण संख्या :– 19/2014

बउनवान

सरकार जर्ये थानाधिकारी पुलिस थाना अन्ता जर्ये जिला पुलिस अधीक्षक महो., बारॉ

(सायल)

बनाम

श्री अब्दुल शकुर उर्फ गुड्डु उम्र 35 वर्ष पुत्र अब्दुल रजाक जाति मुसलमान निवासी तालाब पाडा हाल गुलाब बाडी, अन्ता जिला बारॉ

(गैरसायल)

इस्तगासा अन्तर्गत राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा–3

उपस्थिति :– 1– ए.पी.पी. (सायल)

2– श्री बृजमोहन गोयल अभिभाषक (गैरसायल)

निर्णय दिनांक 17.06.2019

वाक्यात मामला इस्तगासा इस प्रकार है कि गैरसायल श्री अब्दुल शकुर उर्फ गुड्डु उम्र 35 वर्ष पुत्र अब्दुल रजाक जाति मुसलमान निवासी तालाब पाडा हाल गुलाब बाडी, अन्ता जिला बारॉ के विरूद्व जिला पुलिस अधीक्षक बारॉ द्वारा राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा–3 के अन्तर्गत प्रेषित किया गया है।

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि गैरसायल के खिलाफ थानाधिकारी पुलिस थाना अन्ता जिला बारॉ ने जिला पुलिस अधीक्षक महो. बारां को रिपोर्ट की है कि पुलिस थाना अन्ता क्षेत्र के अन्तर्गत गैरसायल आपराधिक प्रवृति का व्यक्ति है। यह व्यक्ति अवैध जुआ सट्टा व अवैध शराब की अवैधानिक गतिविधियों में संलिप्त है। इसके विरूद्व पुलिस थाना अन्ता में वर्ष 2013 से 2014 की अवधि में कुल 05 आपराधिक प्रकरण जिनमे से 4 जुआ सट्टा के अन्तर्गत धारा 13 आर.पी.जी.ओ. एवं 01 प्रकरण 16/54 एक्साईज एक्ट के तहत दर्ज हुये है। जिसमें से यह 13 आर.पी.जी.ओ. के 02 प्रकरणों में न्यायालय से सजायाब भी हो चुका है। इसके विरूद्ध धारा 41/110 जा0फो0 के तहत इंसदादी कार्यवाही भी की जा चुकी है। फिर भी इसकी दिनों दिन आपराधिक गतिविधियॉ बढती जा रही है जिससे समाज के व्यक्तियों व आम जनता में भय, निरन्तर बढता जा रहा है। इसके बावजूद भी इसकी आपराधिक गतिविधियो पर कोई अंकुश नही लग रहा है। इसके विरूद्व लोग रिपोर्ट करने में कतराते है एवं साक्ष्य देने से भी डरते है। इसकी आपराधिक गतिविधियॉ निरन्तर जारी है। इसकी आम शौहरत ठीक नही है। अपराधी का स्वतन्त्र रहना लोकशांती एवं जनहित में हितकर प्रतीत नही है। इस व्यक्ति के विरूद्व राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के तहत विधिक कार्यवाही कर इस जिले की सीमाक्षेत्र से निष्कासित किया जावे।

गैरसायल के विरूद्व दर्ज आपराधिक रिकार्ड निम्न प्रकार है :–

क्र.सं.	प्रकरण संख्या	जुर्म धारा	नतीजा	निर्णय न्यायालय
1.	221/2013	13 आर0पी0जी0ओ0	164/17.07.2013	सजा/14.08.2013
2.	237/2013	13 आर0पी0जी0ओ0	175/26.07.2013	पें0कोर्ट
3.	264/2013	13 आर0पी0जी0ओ0	187/29.08.2013	पें0कोर्ट
4.	303/2013	13 आर0पी0जी0ओ0	216/30.09.2013	सजा/30.10.2013
5.	30/2017	16/54 एक्साईज एक्ट	21/28.012014	पें0कोर्ट

इस प्रकार गैरसायल द्वारा आपराधिक कार्य किये जिससे सार्वजनिक शांतिभंग होने से आम जनता मे भय का वातावरण उत्पन्न होता है। गैरसायल को 13 आर.पी.जी.ओ. के 02 प्रकरणों में न्यायालय द्वारा दोष सिद्व भी ठहराया जाकर सजायाब किया जा चुका है। इसके विरूद्ध धारा 41/110 जा0फो0 के तहत इंसदादी कार्यवाही भी की जा चुकी है। यह गुण्डा की परिभाषा में आता है। अतः इसके विरूद्व अन्तर्गत राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 धारा–3 के तहत कार्यवाही की जावे।

इस्तगासा विरूद्व गैरसायल के पेश कर, उक्त आपराधिक कृत्य में मशगूल होने से गैरसायल को गुण्डा घोषित किया जाकर, उसे राज. गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा–3 के अन्तर्गत जिले से निष्कासित करने के आदेश चाहे गये।

इसके उपरांत गैरसायल के विरूद्व प्रस्तुत इस्तगासे को दिनांक 09.04.2014 को दर्ज रजिस्टर किया गया तथा पुलिस द्वारा प्रस्तुत इस्तगासे एवं साक्ष्य के सारगर्भित बिन्दुओ को दर्शाते हुए गैरसायल को आहूत किया गया तथा गैरसायल की जर्ये सम्मन तलबी की गई। गैरसायल द्वारा मय अभिभाषक स्वयं उपस्थित होकर उपस्थिति दी गई। गैरसायल द्वारा जवाब प्रस्तुत कर, जिला बदर की कार्यवाही के स्थान पर थाना बदर हेतु सहमति पत्र प्रस्तुत कर, प्रकरण का अन्तिम रूप से निस्तारण करने हेतु निवेदन किये जाने पर प्रकरण मे उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

दौराने बहस ए.पी.पी. सरकार पक्ष का मुख्य कथन है कि चूंकि गैरसायल के विरूद्व पुलिस थाना अन्ता में वर्ष 2013 से 2014 की अवधि में कुल 05 आपराधिक प्रकरण जिनमे से 4 प्रकरण जुआ सट्टा के अन्तर्गत धारा 13 आर.पी.जी.ओ. एवं 1 प्रकरण 16/54 एक्साईज एक्ट के तहत दर्ज हुये है। जिसमें से यह अन्तर्गत धारा 13 आर.पी.जी.ओ. के 02 प्रकरणों में न्यायालय से सजायाब भी हो चुका है। इसके विरूद्ध धारा 41/110 जा0फो0 के तहत इंसदादी कार्यवाही भी की जा चुकी है। फिर भी इसकी दिनों दिन आपराधिक गतिविधियॉ बढती जा रही है जिससे समाज के व्यक्तियों व आम जनता में भय, निरन्तर बढता जा रहा है। इसके बावजूद भी इसकी आपराधिक गतिविधियो पर कोई अंकुश नही लग रहा है। इसके विरूद्व लोग रिपोर्ट करने में कतराते है एवं साक्ष्य देने से भी डरते है। इसकी आपराधिक गतिविधियॉ निरन्तर जारी है। इसकी आम शौहरत ठीक नही है। अपराधी का स्वतन्त्र रहना लोकशांती एवं जनहित में हितकर प्रतीत नही है। इस आपराधिक सजायाबी रिकार्ड के आधार पर गैरसायल के विरूद्व राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा–3 के अन्तर्गत अपराध प्रमाणित है। उक्त केसो की पुष्टि सरकार पक्ष की ओर से प्रस्तुत अभिलेखो से होती है। यह व्यक्ति आपराधिक गतिविधियो मे लिप्त है। अतः गैरसायल को जिला बदर किया जावे।

इसके विपरीत गैरसायल के अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत जवाब के कथनो को दौहराते हुये कहा गया कि गैरसायल तालाब पाडा हाल गुलाब बाडी, अन्ता जिला बारॉ का रहने वाला है। गैरसायल के विरूद्व केवल 05 ही प्रकरण जिनमे से 04 प्रकरण अन्तर्गत धारा 13 आर.पी.जी.ओ. के तहत तथा 01 प्रकरण अन्तर्गत धारा 16/54 एक्साईज एक्ट के तहत पुलिस थाना अन्ता में दर्ज किये हुये है। उक्त प्रकरण में से केवल 02 ही प्रकरणों में गैरसायल को सजायाब किया गया है। गैरसायल के विरूद्व मारपीट, चोरी, लूटपाट, डकैती व अपहरण आदि किसी भी गंभीर अपराध का आरोप गैरसायल पर नही है। तथा गैरसायल पर जो आरोप गुण्डा एक्ट का लगाया गया है, नितान्त असत्य एवं मनगढन्त है। अप्राथी एक शांतिप्रिय नागरिक है, जो मजदूरी करके अपना एवं अपने परिवार का पालन–पोषण करता चला आ रहा है। पुलिस द्वारा गैरसायल पर झूठे आरोप लगाकर मिथ्या आधारों पर यह गुण्डा एक्ट की कार्यवाही अमल में लायी गयी है, जो नितांत असत्य होने से निरस्तनीय है। अतः गैरसायल के विरूद्व प्रस्तुत की गई कार्यवाही निरस्त की जावे।

प्रकरण मे गैरसायल द्वारा जिला बदर की कार्यवाही के स्थान पर थाना बदर होकर प्रकरण का अन्तिम रूप से निस्तारण करवाने हेतु सहमति पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि मैं गरीब व्यक्ति हूॅ, मेरा गॉव यहॉ से 25 कि.मी. दूरी पर स्थित है। मैं गॉव मे ही मजदूरी का कार्य करके अपने परिवार का पालन पोषण करता हूॅ। मैं स्वंय की सहमति से उक्त प्रकरण का जिला

बदर के स्थान पर थाना बदर होकर निस्तारण करवाना चाहता हूँ। मेरे विरूद्व पुलिस थाना अन्ता द्वारा गुण्डा एक्ट की कार्यवाही इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। जिसमें जिला बदर की कार्यवाही के स्थान पर मुझे थाना बदर मे पुलिस थाना सीसवाली किया जाकर प्रकरण का अंतिम रूप से निस्तारण किया जावे। जिसमे मुझे किसी प्रकार की आपत्ति नही है।

हमने ए.पी.पी. प्रथम अभियोजन पक्ष सरकार एवं गैरसायल की बहस सुनी तथा इस्तगासे में प्रस्तुत अभिलेखो का अवलोकन किया जाकर, मनन किया गया। गैरसायल द्वारा प्रस्तुत सहमति पत्र पर विचार किया गया। गैरसायल के विरूद्व वर्ष 2013 से 2014 की अवधि में कुल 05 आपराधिक प्रकरण जुआ सट्टा के 4 प्रकरण अन्तर्गत धारा 13 आर.पी.जी.ओ. एवं 01 प्रकरण अन्तर्गत धारा 16/54 एक्साईज एक्ट के तहत दर्ज हुये है। जिसमें से यह धारा 13 आर.पी.जी.ओ के 02 प्रकरणों में न्यायालय से सजायाब भी हो चुका है। इसके विरूद्ध धारा 41/110 जा0फो0 के तहत इंसदादी कार्यवाही भी की जा चुकी है।

अतः उक्त समस्त तथ्यों अनुसार यह साबित होता है कि श्री अब्दुल शकुर उर्फ गुड्डु पुत्र अब्दुल रजाक जाति मुसलमान निवासी तालाब पाडा हाल गुलाब बाडी, अन्ता जिला बारॉ द्वारा उक्त अपराध किए गए है। जिसके आधार पर गैरसायल राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम की धारा 2 (आ) की परिभाषा मे आना पूर्णतया सिद्व है, क्योकि धारा 2 (आ) के प्रावधान के अनुसार गैरसायल को अन्तर्गत धारा 13 आर.पी.जी.ओ. के तहत 02 प्रकरणो में न्यायालय से दोषी ठहराया हुआ है।

अतः श्री अब्दुल शकुर उर्फ गुड्डु पुत्र अब्दुल रजाक जाति मुसलमान निवासी तालाब पाडा हाल गुलाब बाडी, अन्ता जिला बारॉ को सजायाबी रिकार्ड के आधार पर राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम की धारा 2 (आ) के तहत गुण्डा घोषित करता हूँ तथा धारा 3 (3) (क) के प्रावधानो के अन्तर्गत बारां जिले के पुलिस थाना क्षेत्र अन्ता से 15 दिन के लिए गैरसायल को निष्कासित किये जाने का आदेश देता हूँ।

गैरसायल श्री अब्दुल शकुर उर्फ गुड्डु पुत्र अब्दुल रजाक जाति मुसलमान निवासी तालाब पाडा हाल गुलाब बाडी, अन्ता जिला बारॉ को राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के तहत पुलिस थाना अन्ता से 15 दिन के लिए निष्कासित किया जाता है। गैरसायल उक्त अवधि मे अपनी उपस्थित प्रत्येक दिवस थानाधिकारी पुलिस थाना सीसवाली जिला बारां को देगा। इस अवधि में अपराधी ऐसा कोई आचरण नही करेगा, जो व्यक्तियों के प्रतिकूल एवं सामान्य व्यवहार संहिता के विरूद्व हो अर्थात इस अवधि में पूर्ण सचरित्र रहेगा। किसी आपराधिक गतिविधी में भाग नही लेगा। गैरसायल न्यायालय के समक्ष 10,000/– रूपये का स्वंय का मुचलका इस अवधि मे नेकचलन रहने के संबंध मे पेश करेगा।

गैरसालय के विरूद्व यह आदेश दिनांक 01.07.2019 से प्रभावी होगा।

नियमानुसार तहरीरे जिला पुलिस अधीक्षक, बारां एवं थानाधिकारी पुलिस थाना सीसवाली जिला बारां को दी जावे। थानाधिकारी पुलिस थाना अन्ता जिला बारॉ को तहरीर दी जावे, जिसमे यह लिखा जावे कि गैरसायल को उक्त आदेश की पालना में जिले के पुलिस थाना क्षेत्र अन्ता से बाहर निष्कासित कर, थानाधिकारी पुलिस थाना सीसवाली जिला बारां के सुपुर्द कर, पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में पेश करे।

निर्णय आज दिनांक 17.06.2019 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली बाद तामील तकमील फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(सुदर्शन सिंह तोमर)
अति0 जिला मजिस्ट्रेट, बारॉ